चम्पा का प्रशासनिक व्यवस्था।

Que 8.- Administrative System of Champa ?

Ans- दक्षिणपूर्व एशिया के विभिन्न देशों में चम्पा का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्तमान समय में जिस प्रदेश को दक्षिणी वियतनाम का राज्य कहा जाता है, प्रायः वे ही प्राचीनकाल में चम्पा के भारतीय राज्य के अन्तर्गत थी। इस क्षेत्र से संस्कृत के बहुत से अभिलेख उपलब्ध हुए हैं जिनके अनुसार अनुशीलन से चम्पा की शासन व्यवस्था का चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है, तथा उस पर भारत का प्रभाव स्पष्ट रूप से विद्यमान है। चम्पा की शासन व्यवस्था का विवरण निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है —

राजा — चम्पा में राजतन्त्र की सत्ता थी। राजा को देवताओं के अंश से निर्मित माना जाता था, और उसकी शक्ति को मर्यादित करने वाली कोई ऐसी संस्था या सभा नहीं थी जिसे जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता हो। 799 ईस्वीं में ग्लाई लोमाई संगीतकुल अभिलेख में राजा इन्द्रवर्मा के लिए "ब्रह्मांशप्रभवः" विशेषण का प्रयोग किया गया है वहाँ लिखा है —

"ब्रह्मांश प्रभवः प्रभूतविभवो भाग्य प्रभावान्वितः
शक्त्या विष्णुरिव प्रमथ्य च रिपून धर्मस्थितिं पालयेत् ॥

जिस राजा को दैवी माना जाता हो, उसकी शक्ति का अनियन्त्रित होना सर्वथा स्वभाविक है। पर राजा के लिए वीर तथा प्रजा का पालक होना आवश्यक माना जाता था। एकतन्त्र शासन तभी सफल हो सकते हैं जब राजा योग्य तथा गुणी हो। चम्पा में भी राजा से यह आशा की जाती थी कि वह प्रजा का पुत्रवत् पालन करे। राजा प्रकाश धर्मा के भद्रेश्वर महादेव के दानपत्र में राजा कंदर्पधर्मा के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि व्यसनों से विरहित वह सभ्य राजा प्रजा का पुत्रवत् पालन करता था और वह साक्षात् धर्म के समान था। राजा से आशा की जाती थी कि वह जनता की हित के लिए ही आत्मतेज का प्रयोग करेगा (प्रकृतिहितम धीरसन सन्तनो त्यारमतेजो)

राजा के लिए इन्द्रियजनी होना तथा क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं हर्ष के वशीभूत न होनेवाला आवश्यक समझा जाता था। सम्भवतः कम्बुज के समान चम्पा में भी राजा को परामर्श

के लिए सभा की सत्ता थी। ओपन के अभिलेख में आशाचित सदसि राजवरेण' आया है जिससे सभी की सत्ता का संकेत मिलता है। राजा के पद पर किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाय या किसे राजा बनाया जाय, इस सम्बन्ध में भी राज्य के प्रमुख व्यक्तियों का हाथ रहता था। 1081 इस्वीं में राजा हरिवर्मनदेव चतुर्थ के स्वेच्छापूर्वक राजसिंहासन का परित्याग कर देने पर जब उसका पुत्र भी राजकुमार इन्द्रवर्मन देव के नाम से राजा बना, तब उसकी आयु केवल नौ वर्ष की थी। वह शासन सूत्र का संचालन कर सकने के अयोग्य था माईसोन के एक अभिलेख के अनुसार इस दशा में राज्य के ब्राह्मण, क्षत्रिय, पंडित ज्योतिषी और आचार्य एकत्र हुए और उन्होनें विचार विमर्श के अनन्तर यह पाया कि श्री राजकुमार के चाचा श्री युवराज महासेना पति कुमार पाज में रजा होने के सब आवश्यक गुण है और उन्होनें इस कुमार को राजा के पद पर अधिष्ठित किया। अन्य भी अनेक अवसरों पर राज्य के प्रमुख दस व्यक्तियों ने राजा के वरण में हाथ बटाया था। इसका संकेत चम्पा के अभिलेखों में विद्यमान है।

तीन प्रान्त — शासन के प्रयोजन से चम्पा का राज्य तीन प्रान्तों में विभक्त था। ये प्रान्त निम्नलिखित थे —

① **अमरावती** — यह राज्य का उत्तरी प्रांत था। वर्तमान समय का क्वांगनाम प्रदेश इसी को सूचित करता है। अमरावती प्रान्त में दो मुख्य नगर थे — चम्पापुर और इन्द्रपुर। ये दोनों विभिन्न समयों में चम्पा की राजधानी भी रहे। जहाँ आजकल दोंग दुओंग है, वहीं प्राचीन समय में इन्द्रपुर की सत्ता थी। ② **विजय** — यह चम्पा का मध्यवर्ती प्रान्त था वर्तमान समय में इसे विन्ह-दिन्ह कहते हैं। इसके मुख्य नगर का नाम भी विजय था, और यह नगर भी चम्पा की राजधानी रहा था। ③ **पाण्डुरंग** — यह चम्पा का दक्षिणी प्रान्त था, और इसका मुख्य नगर वीरपुर था। प्रत्येक प्रान्त अनेक जिलों अथवा विषयों में विभक्त था। चीनी ग्रन्थ के अनुसार राजा हरिवर्मा तृतीय के समय (1081 ईस्वीं)

में चम्पा के इन जिलों की कुल संख्या 38 थी। प्रत्येक जिले में कुछ नगर और बहुत से गाँव होते थे। प्रान्तों के शासन के लिए राजा द्वारा जो पदाधिकारी नियुक्त किये जाते थे, उनमें शासक और सेनापति प्रधान थे। प्रायः राजकुल के ही किसी व्यक्ति को प्रान्त के शासन के लिए भेजा जाता था। पो नगर के एक अभिलेख के अनुसार राजा हरिवर्मा हरिवर्मन देव ने अपने पुत्र विक्रान्त वर्मा को पाण्डुरंग का शासक या पुराधिपति नियुक्त किया था, और उसके साथ एक सेनापति को भी नियुक्त को थी क्योंकि प्रान्तों के शासक प्रायः राजकुल के व्यक्ति होते थे और अपने क्षेत्र में उनकी स्थिति स्वतन्त्र राजाओं के सदृश रहती थी। अतः कभी-कभी वे राजा के विरुद्ध विद्रोह कर स्वतन्त्र हो जाने का भी प्रयत्न किया करते थे। ऐसे ही एक विद्रोह को शांत करने के लिए राजा जय परमेश्वर वर्मा ने अपने भांजे श्री देवराज महासेनापति को पाण्डुरंग भेजा था। प्रान्तों के अन्तर्गत जिलों या विषयों पर भी वंशानुक्रमानुगत सामान्त राजाओं का शासन होता था। सम्भवतः चम्पा राज्य में एक प्रकार की सामन्त पद्धति का विकास हो गया था, और वहाँ के सामन्त राजा अवसर पाते ही अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हो जाने के लिए कटिबद्ध रहा करते थे। प्रान्तों के शासन के लिए जो बहुत से कर्मचारी नियुक्त किये जाते थे, चीनी ग्रन्थों के अनुसार उनकी संख्या एक ~~50~~ के लगभग रहती थी। इनका मुख्य कार्य राजकीय करों को वसूल करना होता था। वेतन के बजाय इन्हें जागीर देने की प्रथा भी थी, जिसकी आमदनी से वे अपना खर्च चलाया करते थे। वेतन के बदले में जागीरें प्राप्त कर राजकर्मचारियों की स्थिति अपने जागीर के स्वामी की हो जाती ~~है~~ थी, और वे स्वतन्त्र आचरण करने लगे थे।

राजकीय आय :— राजकीय आय का प्रधान साधन भूमि कर था। उपज का एक छठा भाग भूमि-कर के रूप में लिया जाता था। कर की यह पद्धति पूर्णतया भारतीय परम्परा के अनुकूल थी। विशेष दशाओं में भूमि कर की दर घटा कर दस प्रतिशत भी कर दी जाती थी। पर यह रियायती कर राजा

के अनुग्रह पर निर्भर थी। चौदिंक अभिलेख में राजा भद्रवर्मा द्वारा भद्रेश्वर महादेव के मंदिर के लिए एक भूमिखण्ड के भूमिका को अक्षय-नीवी के रूप में दिये जाने का उल्लेख है और उसके भूमि कर की रियायती दर प्रतिशत दर की भी बात कही गयी है। यद्यपि जनपद की मर्यादा के अनुसार उपज का छठा भाग भूमि कर के रूप में ग्राह्य था, पर स्वामी (राजा) के अनुग्रह कर के उपज का दसवाँ भाग प्रदेय निर्धारित कर दिया था। जो भूमि किसी मन्दिर की सम्पत्ति होती थी, उस पर प्रायः भूमि कर नहीं लगता था। चम्पा के अनेक अभिलेखों में मन्दिरों की भूसम्पत्ति पर भूमि कर की छूट का उल्लेख है। राजकीय आमदनी के अन्य साधन वे कर थे जो निष्काम्य (निर्यात) और प्रवेश्य (आयात) पण्य पर लगाये जाते थे, या जो कल-कारखानों की पैदावार पर लगाये जाते थे। इन करों की दर प्रायः ५० प्रतिशत होती थी।

न्याय-व्यवस्था: — चम्पा के अभिलेखों से सूचित होता है कि कानून प्रधानतया मनु, नारद, तथा भार्गव की स्मृतियों या धर्मशास्त्रों पर आधारित थे। एक अभिलेख के अनुसार राजा जय इन्द्रदेव वर्मन मनु मार्ग (मनु द्वारा प्रतिपादित मार्ग) का अनुसरण करने वाला था और वह सब धर्मशास्त्रों विशेषतया नारदीय तथा भार्गवीय धर्मशास्त्रों में निष्णात था। पर न्याय करते हुए केवल स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित कानून को ही दृष्टि में नहीं रखा जाता था अपितु लोक-धर्म (जनता में प्रचलित प्रथाओं पर आधारित कानून के अनुसार भी न्याय किया जाता था। इसीलिए ८८५ ईस्वीं में उत्कीर्ण बो नंग के अभिलेख में राजा इन्द्रवर्मा द्वितीय को शास्त्रज्ञ के साथ-साथ 'लोक-धर्मवित्' भी कहा गया है।

चीन के प्राचीन ग्रंथों से भी चम्पा राज्य की न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ बातें ज्ञात होती है। अनेक अधन्य अपराधियों के लिए बेंत या कोड़े मारने का दंड दिया जाता था। चोरी तथा डकैती के अपराध में प्रायः उंगलियां या हाथ काट डालने का दंड दिया जाता था।

Scanned with CamSc

अत्यधिक जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड की भी व्यवस्था मृत्युदंड के अनेक ढंग थे। हत्या के अपराध में अपराधी को को या तो हाथी के पैर से कुचलवा देते थे और या उसे मृत व्यक्ति के कुटुम्बियों के सुपुर्द कर देते थे जो उसे मृत्यु अपने ढंग से मार सकते थे। कतिपय अपराधों के लिए धन सम्पत्ति को जब्त कर लेने और देश निकाला का भी विधान था। कर्ज की मांग को अदा न करने पर अधमर्ण को दास बनने का दंड दिया जा सकता था। अपराध का पता लगाने के लिए दैवी परीक्षा का भी सहारा लिया जाता था। शेर आदि हिंस्त्र पशु के सामने ले जाने पर यदि अपराधी को पशु कुछ न कहे, तो उसे निरपराध मान लिया जाता था। राजद्रोही से अपना अपराध स्वीकार कराने के लिए उसे किसी निर्जन स्थान पर वृक्ष आदि से बांध देने की प्रथा थी उसे तबतक बांधे रखा जाता था जब तक कि वह अपना अपराध स्वीकार न कर ले।

सेना:— चम्पा में सेना का बहुत महत्व था। उसके राजाओं को अनाम और कम्बुज से निरन्तर संघर्ष करते रहना पड़ा और उसी लिए उन्होंने सैन्य शक्ति की वृद्धि तथा सेना के संगठन पर बहुत ध्यान दिया। सेना दो प्रकार की थी — स्थल सेना और जल सेना।

स्थल सेना के तीन विभाग थे — पदातिसेना, अश्वरोही सेना, और हस्ति सेना। चम्पा की स्थल सेना में हाथियों का प्रधान स्थान था। चम्पा की जल सेना भी बहुत शक्तिशाली थी। अनाम और कम्बुज के विरुद्ध युद्धों में चम्पा के राजाओं ने किस प्रकार बारी-बारी अपनी जंगी बेड़े को प्रयुक्त किया। भारत के प्राचीन नगरों के समान चम्पा के नगरों का निर्माण भी प्रायः दुर्गों के रूप में किया जाता था, जिनके चारों ओर प्राचीर होती थी, जो जल से भरा परिखा से घिरी रहती थी।

विदेशों से सम्बन्ध — चम्पा राज्य के उत्तर में अनाम की स्थिति थी और पश्चिम में कम्बुज देश

Scanned with CamScanner

चीन के साथ भी उसका घनिष्ठ सम्बन्ध था। और वहाँ के राजा चीन के सम्राट की सेवा में बहुमूल्य भेंट उपहारों के साथ अपने दूतमंडल भेजते रहते थे। अनाम कम्बुज और चीन जैसे समीपवर्ती देशों के साथ सम्पर्क को कायमरखने के लिए ऐसे राजपुरुषों या राजदूतों की आवश्यकता थी जो राजनय में प्रवीण हों। चम्पा के अनेक अभिलेखों में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख आया है। न्हनीवियां के अभिलेख के अनुसार राजद्वार नामक राजपुरुष दूतकर्म में अत्यन्त निपुण था। वह धर्म्य (धार्मिक) कुशल, नीतिमान, स्वनयोपेत (राजनय) में निष्णात और धिमान था राजा के आदेशों का वह पूर्णभक्ति के साथ पालन करते थे। और राजा को वह नायक (राजपदाधिकारी) अत्यन्त प्रिय था। इस सुयोग्य राजपुरुष ने चार राजाओं (जयसिंह वर्मा) जयशक्तिवर्मा, भद्रवर्मा, और इन्द्रवर्मा के शासन काल में जिनका समय ८०६ इस्वीं से ८७२ इस्वीं तक था। राजसेवा की, और उसे अनेक बार राजदूत में बना कर अन्य देशों में भेजा गया। जयसिंह वर्मा ने उसे यवद्वीप (जावा में) अपना राजदूत बनाकर भेजा था और वहाँ उसे कार्यसिद्धि भी हुई थी। बाद में राजा भद्रवर्मा द्वारा भी उसे राजदूत के रूप में जावा भेजा गयाथा।

हौआ-कुए में राजा भद्रवर्मा तृतीय (८७४-८९१ इस्वीं के एक मंत्री का उल्लेख है जो सब देशों से दूतों द्वारा लाये हुए राजकीय सन्देशों को केवल एक क्षण तक देख कर ही उनके अभिप्राय को अविकल रूप से जान लेता था। निःसंदेह चम्पा के शासनतंत्र में ऐसे राजपदाधिकारी विद्यमान थे जो राजनय में अत्यन्त चतुर थे और जिन द्वारा वहाँ के राजाओं का विदेशों के साथ सम्बन्ध स्थापित था।—

Scanned with CamSc